

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 3/3/23 को पेश हो।

गवामं.

प्रार्थना:-

03/03/23 अधिकारगण हलबाल में होने के कारण पत्रावली
आईन्दा दिनांक 01/03/23 को पेश हो।

31/3/27

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्व आदेशिक ठाकुर
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि आदेशिक दिनांक 6/04/23 को पेश हो।
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 6/4/23 को पेश हो।

6/4/23

पत्रावली पेश हुई। छात्री वकील इफा पिछाछी वकील उपज
पिछाछी जब वकील को जवाब पेश करने के अने मुअपसर
द्वारे के अपसुद भी जवाब पेश नही किया उता जवाब बंद
किया जाता है। वकील छात्री ने बेकान करने का निवेदन
किया। वकील छात्री की वकल हुनी गई वकल परमन
किया गया। पत्रावली हल। पिछित 4 लफेओते का अपसुद
किया गया। अिसले प्रीत होला है। छात्री वकील का छरिना
पत्र स्वीकार करने योग्य के डता: ने खमबदी निजीय असग
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
के साथ शुमार होकर कारिस पत्र हो जेश्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी</p> <p>1. सावण पुत्र मिहल 2. हासम पुत्र मिहल 3. लतीफा पत्नि मिहल जातियान-मुसलमान, निवासी-झड़पा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <p>1. गुलाम पुत्र राच्चू 2. मुबारक पुत्र सच्चू 3. हारुण पुत्र राच्चू 4. मिश्री पुत्र सच्चू 5. शिवा पुत्र लाला 6. वलु पुत्र संघार 7. इरमाईल पुत्र संघार 8. काम्भू पुत्र संघार 9. मुकीम पुत्र संघार 10. जीमल पुत्र संघार जातियान-मुसलमान, निवासी झड़पा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>
---	--------------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 321/2022

दिनांक : 06/04/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू. अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा झड़पा के खेत खसरा संख्या 253/310 रकबा 4.0469 हैक्टर किस्म बारांनी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमर्जेन्सी हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्र.मौ.क./भू.अ./2023/549-52

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
O/C सेड़वा (SDO) सेड़वा
दिनांक 06/04/23

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी सावण पुत्र मिहल।
3. विप्रार्थीगण गुलाम पुत्र सच्चू वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
O/C सेड़वा (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं. 321/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

सावण वगैरा बनाम गुलाम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री भवानी शंकर

निर्णय


दिनांक –

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा झड़पा के खेत खसरा सख्या 253/310 रकबा 4.0469 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा झड़पा के खेत खसरा सख्या 253/310 रकबा 4.0469 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।
निर्णय आज दिनांकको न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा